Website : www.prsuprayagraj.in E-mail ID- coeasua@gmail.com

प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज,उ0प्र0
(पूर्ववर्तीः इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय)
Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.
(Formerly: Allahabad State University)

पत्रांक: प्रो0रा0सि0वि0वि0/प0नि0का0/710 /2020 दिनांक: 08 अक्टूबर, 2020

कार्यालय–आदेश

अपर सचिव उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ के पत्रांक सं0 242/रा0उ0शि0प0/53/19 दिनांकः 16 जुलाई, 2020 के क्रम में दिनांक 01.09.2020 को परीक्षा समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें लिये गये निर्णयों के आलोक में इस विश्वविद्यालय एवं इससे सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के वार्षिक पद्धति के समस्त छात्र/छात्राओं एवं सम सेमेस्टर के विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तिम सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं को छोड़कर शेष सम सेमेस्टर के समस्त छात्र/छात्राओं को निम्नलिखित प्रकार से प्रोन्नत किये जाने की मा0 कुलपति महोदया जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. वार्षिक पद्धति के सत्र 2019–20 के प्रथम एवम द्वितीय खण्ड के बी0ए0 एवं बी0एस–सी0 तथा एम0ए0–ड्राइंग एण्ड पेंटिंग के समस्त छात्र/छात्राओं को उनके अगले वर्ष में प्रोन्नत किया जाता है।
2. सत्र 2019–20 के सम सेमेस्टर के एल0एल0बी0(त्रिवर्षीय), बी0सी0ए0, बी0बी0ए0, बी0एस–सी0 (बायोटेक्नॉलाजी) के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर, बी0एस–सी (कृषि) द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं तथा बी0ए0एल0एल0बी0(पंचवर्षीय) के द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ एवं अष्ठम सेमेस्टर के समस्त छात्र/छात्राओं एवं एम0ए0, एम0एस–सी0, एम0कॉम0, एम0एस–सी0 (कृषि), एम0ए0/एम0एस–सी0 (रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन), एम0एस0डब्ल्यू0,एम0पी0एड0, बी0पी0एड0, एम0एड0, बी0एड0 के द्वितीय सेमेस्टर के समस्त छात्र/छात्राओं को उनकी अगले सम्बन्धित सेमेस्टर मे प्रोन्नत किया जाता है।
3. परीक्षा समिति के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा कुछ विषयों/प्रश्नपत्रों की परीक्षाए लाकडाउन से पूर्व सम्पन्न करा ली गयी थी। जिनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराके उनके अंक अंतिम परिणाम में सम्मिलित किये जायेंगे।
4. ऐसे परीक्षार्थियों को जो लाकडाउन 18 मार्च, 2020 के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी गयी परीक्षा के प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय मे पृथक–पृथक प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण कियें है अथवा बैक पेपर के लिए अर्ह है उन छात्रों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा किन्तु ऐसे परीक्षार्थी जो अनुत्तीर्ण है उनका वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुतीर्ण घोषित किया जाएगा। बैक पेपर की परीक्षा के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम मान्य होंगे।
5. ऐसे परीक्षार्थी जो किसी कारणवश दिनांकः 18.09.2020 से संचालित होने वाली वार्षिक/सम सेमेसटर में पंजीकृत छात्र/छात्राए परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाये है उस दशा में परीक्षार्थी को उस प्रश्नपत्र में पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विश्वविद्यालय की सुविधानुसार आयोजित परीक्षा में एक विशेष अवसर प्रदान किया जा सकता है। जिसका निर्णय परिस्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा बाद में लिया जाएगा।
6. प्रथम वर्ष के ऐसे छात्र जो उपरोक्त बिन्दु–4 की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किये जाते हैं वे छात्र सत्र 2020–21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होंगे तथा विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तगर्त यदि ये सभी विषयों मे पृथक–पृथक उत्तीर्ण पाये जाते हैं तो इनके द्वितीय वर्ष के समस्त विषयों के प्राप्तांको का औसत अंक ही इनके प्रथम वर्षके उन अवशेष विषय/विषयों/प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जायेगो। जिनमें सत्र 2020 में परीक्षा सम्पादित नही हो सकी। द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए भी उपरोक्त व्यवस्था लागू होगी। केवल उनके अंको के लिए उनके प्रथम वर्ष में प्राप्त किये गये अंको का संज्ञान लिया जाएगा।
7. द्वितयी सेमेस्टर के ऐसे छात्र जो उपरोक्त बिन्दु–4 की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किये जाते है उनके प्रथम सेमेस्टर दिसम्बर, 2019 के समस्त विषयों के प्राप्तांको का औसत अंक ही उनके द्वितीय सेमेस्टर जिनमें 2020 में परीक्षा सम्पादित नही हो सकी, के उनके अवशेष विषय/विषयों/प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जायेगा।
8. परन्तु यदि सत्र 2021 में द्वितीय वर्ष/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला छात्र कुछ विषय/विषयों मे पृथक–पृथक उत्तीर्ण होते हुए बैक पेपर परीक्षा के अर्ह पाया जाता है तो इस छात्र द्वारा उत्तीर्ण किये गये

समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष/द्वितीय सेमेस्टर के उन विषयों का प्राप्तांक माना जायेगा जिनके परीक्षा सत्र 2020 में सम्पादित नही हो सकी।

9. यदि कोई छात्र वर्ष 2021 में द्वितीय वर्ष विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तगर्त अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह सत्र 2022 में इस परीक्षा में पुनः सम्मिलित होगा तथा इस परीक्षा में उसके द्वितीय वर्ष के परिणाम के आधार पर ही उपरोक्त बिन्दु–6 के अनुसार उसके प्रथम वर्ष सत्र 2020 के उन अवशेष विषय/विषयों/प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जायेगा। जिनके सत्र 2020 में परीक्षा सम्पादित नही हो सकी।

10. अन्तिम वर्ष एवं अन्तिम सेमेस्टर को छोड़कर ऐसे छात्र जो सत्र 2021 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर निर्धारित किये जाने वाले सत्र 2020 की अवशेष परीक्षाओं के परिणाम से संतुष्ट नही होंगे वे सत्र 2021 में आयोजित होने वाली वार्षिक/सेमेसटर परीक्षा के उन समस्त किसी भी विषय में सम्मिलित होकर अपने अंकोमें सुधार करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

11. बी0ए0एल0एल0बी0 (पंचवर्षीय) पाठ्यक्रम के षष्ठ एवं अष्ठ सेमेस्टर के समस्त छात्र–छात्राओं को पूर्व में निर्धारित चतुर्थ सेमेस्टर की व्यवस्था के अनुसार अंक प्रदान किया जायेगा।

12. बी0एस–सी0 (कृषि) पाठ्यक्रम के षष्ठ सेमेस्टर के छात्र–छात्राओं को उनके पूर्ववर्ती समस्त सेमेस्टर में प्राप्त अंको का औसत प्रदान किया जायेगा।

13. परीक्षा समिति दिनांक: 01.09.2020 मे लिए गये निर्णय जो कि सत्र 2019–20 के अन्तिम सेमेस्टर के ऐसे परीक्षार्थी जिनके गत सम सेमेस्टर में किसी प्रश्न पत्र में बैक लगा था, के सम्बन्ध में है, परीक्षा समिति ने यह निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय के नियमो के परिपेक्ष्य में बैक पेपर के लिए अर्ह परीक्षार्थी जो सम सेमेस्टर के अन्तिम सेमेस्टर को छोड़कर यदि किसी अन्य सम सेमेस्टर में बैक के लिए अर्ह है और कोविड–19 के कारण परीक्षा न होने की स्थिति में अपनी उपाधि की अर्हता अर्जित नही कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन सम्बन्धित सेमेस्टर में समस्त प्रश्न पत्रों के औसत के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे। किन्तु यह सुविधा विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन तथा बैक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये निर्धारित समस्त औपचारिकताओ के पूर्व में (Prior) पूर्ण किये जाने पर ही प्राप्त होगी।

उपरोक्त बिन्दु–1 से बिन्दु–13 तक वर्णित व्यवस्था केवल वर्ष 2020 की परीक्षाओं के लिए ही प्रभावी होंगी।

(डॉ0 कुलदीप सिंह)
परीक्षा नियंत्रक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्राचार्य/प्राचार्या समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय जनपद–प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहुपर को सूचनार्थ।
2. कुलानुशासक/जन सम्पर्क अधिकारी, प्रो0रा0सिं0(रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज को सूचनार्थ।
3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा), प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज को सूचनार्थ।
4. निजी सचिव मा0 कुलपति महोदया को, मा0 कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
5. वैय0 सहायक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
6. प्रभारी एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त से संदर्भित होते हुए तथा विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन अंकतालिकाओ का निर्माण/निर्धारण करते हुए परीक्षा परिणाम तैयार कर प्रस्तुत करें।

08/10/2020

(डॉ0 कुलदीप सिंह)
परीक्षा नियंत्रक